राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-430/2000/3235 दिनांक 19.06.2000

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

बाबा राहेल डॉ0 भीमराव अम्बेडकर कॉलेज ऑफ फिजीकल एजूकेशन, असौनी, आगरा, उत्तर प्रदेश ने मान्यता प्राप्त बीपीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 29.2.2000 को आवेदन किया था।

सत्र 2000-2001 संस्था को बीपीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का दिनांक 29-30 मार्च, 2000 को मूल्यांकन कराया था तथा संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा सम्बन्धित दस्तावेज आदि को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 12-13 अप्रैल, 2000 को सम्पन्न हुई 24 वीं बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत किया गया था। समिति ने संस्था के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार निम्नांकित कमियाँ हैं। अतः संस्था को निम्नांकित कमियों की सूचना प्रेषित करते हुए उक्त कमियों के संदर्भ में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 14 (3)(बी) के अन्तर्गत लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का नोटिस जारी कर दिया जाए।

क्रसं	पाई गई कमियाँ
1	परिषद् के नार्मस् एण्ड स्टेण्डर्ड्स के पैरा 2.1, 2.2 व 2.3 के अनुसार निर्धारित योग्यता व विषयों के अनुसार नियमानुसार राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/यू.जी.सी. के निर्देशानुसार गठित चयन समिति द्वारा पूर्ण कालिक एवं नियमित वेतन श्रृंखला में चयनित रीडर/व्याख्याताओं की 1:12 के मानदंडों से कमी है। और ना ही अब तक नियमानुसार चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर रीडर/व्याख्याताओं का चयन कर उनसे परिषद् द्वारा मान्यता मिलने पर कार्यग्रहण करने की सहमति प्राप्त की है।
2	नार्मस् व स्टेण्डर्स के लिए 2.2 के अनुसार पार्ट टाईम कोचेज तथा 2.3 के अनुसार मेडीकल ऑफीसर, पुस्तकालयाध्यक्ष व अन्य सहायक स्टाफ की कमी है।
3	नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.8 के अनुसार स्पोर्टस् मेडीसिन लैब, एजूकेशन लेबोरेटरी के उपकरणों की कमी है।
4	नार्मस् व स्टेण्डर्स के पैरा 3.9 के अनुसार स्पोर्टस् एवं फील्ड इवेन्टस् के लिए उपकरणों की कमी है।
5	नार्मस व स्टेण्डर्स के पैरा 3.1 के अनुसार भवन व भूमि, 3.2 के अनुसार कक्षा-कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, हेल्थ एजूकेशन लैब, एनाटोमी फिजिओलोजी लैब, फिजिओथिरेपी लैब, स्पोर्टस् साईकोलोजी लैब, बायो मैकेनिक्स लैब व अलग से पुस्तकालय की कमी है।
6	नार्मस व स्टेण्डर्स के पैरा 3.7.1 के अनुसार इनडोर गेम्स हेतु हाल तथा पैरा 3.7.2 के अनुसार आउट डोअर गेम्स हेतु खेलों के मैदान ट्रेक आदि की कमी है।
7	नार्मस व स्टेण्डर्स के पैरा 3.6 के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकें व जनरल्स की कमी है।
8	नार्मस व स्टेण्डर्स के पैरा 3.1 के अनुसार अक्षय निधि व सुरक्षित निधि की कमी है।

समिति के निर्णयानुसार संस्था को पत्र क्रमांक राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी-430/2000/886 दिनांक 26.4.2000 प्रेषित किया था जिसमें उपरोक्त कमियों को अंकित किया गया था संस्था से उक्त पत्र के संदर्भ में पत्र दिनांक 3.6.2000 के द्वारा प्रेषित किया। संस्था से प्राप्त उत्तर, संस्था की मूल मिसिल, मूल्यांकन प्रतिवेदन, परिषद् अधिनियम एवं इसके अन्तर्गत जारी विनियमों/मानदंडों की प्रति तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेज की प्रति आदि को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 8-9 जून, 2000 को सम्पन्न हुई 26 वीं बैठक

-2-

कार्यालय : ए-46, शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपुर - 302 004
क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
Office : A-46, Shanti Path, Tilak Nagar, Jaipur 302 004
Jurisdiction : U.P., Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, H.P., Rajasthan
Phone फोन : [illegible] Fax फैक्स : [illegible]

में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया । समिति ने संस्था के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया कि संस्था के बीपीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को निम्नांकित कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया जाए ।

क्रसं.	संस्था में पाई गई कमियाँ
1	संस्था को अतिरिक्त 100 सीटों के लिए मानदंडों के अनुसार 9 प्रवक्ता चाहिए । परिषद् मानदंडों के पैरा 2.2 के अनुसार निर्धारित योग्यता में मानदंडों के पैरा 5.3 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुनरीक्षित वेतन श्रृंखला के साथ 9 प्रवक्ताओं की कमी है । संस्था द्वारा प्रस्तुत किए गए 9 प्राध्यापक निर्धारित योग्यता नहीं रखते हैं, न ही पैरा 5.3 के अनुसार वेतन श्रृंखला देने का प्रस्ताव है ।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार बाबा साहेब डॉ0 भीमराव आम्बेडकर कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन, अरतौनी, आगरा, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त बीपीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त सीटों की मान्यता को संस्था में पाई गई उपरोक्त कमियों के कारण तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अभिकरण को यह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीपीएड पाठ्यक्रम में मान्यता प्राप्त सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश न करें । यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनके बीपीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त बीपीएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी । यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष अपील कर सकती है । अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं । इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है ।

आज्ञा से

(डॉ0 एस.एन. मैठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स ,दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
3. कुल सचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश ।
4. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5. प्राचार्य, बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर कॉलेज ऑफ फिजीकल एजुकेशन, अरतौनी, उत्तर प्रदेश ।
6. कम्प्यूटर फाइल (उक्षेस)

क्षेत्रीय निदेशक